भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4828

(शुक्रवार, 23 मार्च, 2018/2 चैत्र, 1940 (शक) को दिया गया)

शिकायतें और लंबित मामले

4828. श्री सी.एस. पुट्टा राजूः

श्रीमती पूनमबेन माडमः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जन साधारण द्वारा जमा कराए गए और निकाले गए धन के संबंध में निजी कंपनियों द्वारा नियम एवं शर्तों के उल्लंघन के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान जिन कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें दर्ज की गई हैं उनका नाम क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा ऐसी शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है और तत्संबंधी परिणाम क्या रहे;

(ग) उक्त शिकायतों में से न्यायालय में दर्ज किए गए मामलों की संख्या का ब्यौरा क्या है और वर्तमान में कितने मामले न्यायालय में लंबित पडे हैं और इस संबंध में कितने लोगों को जेल हुई है;

(घ) क्या सरकार ने मंत्रालय से संबंधित लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए किसी तंत्र को स्थापित करने हेतु किसी विशेष टीम का गठन किया है/करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या विभिन्न न्यायालयों में मामलों की बढ़ती हुई संख्या के संबंध में गंभीर चिंता जताई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क): कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के अनुसार प्राइवेट कंपनी को केवल अपने निदेशकों और उनके संबंधियों और एक निश्चित सीमा तक अपने सदस्यों से ही जमा स्वीकृत करने की अनुमति है। अतः कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के साथ पठित धारा 76 के अधीन प्राइवेट कंपनी सार्वजनिक जमा स्वीकृत करने के लिए पात्र नहीं है।

तथापि, संबंधित कंपनी रजिस्ट्रारों (आरओसी) को कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के उपबंधों के अनुसार 24 प्राइवेट कंपनियों के विरुद्ध जमा के निबंधन एवं शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। पिछले तीन वित्त वर्षों में ऐसा करने वाली कंपनियों के नामों का विवरण अनुलग्नक-क में संलग्न है।

(ख) और (ग): कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के उपबंधों के अधीन 4 कंपनियों के विरुद्ध अभियोजन दायर किये गये हैं, जिसमें 15 न्यायाधीन मामले भी शामिल हैं, और अन्य मामलों में, मामले की जांच की जा रही है या यह पूछताछ/निरीक्षण/जांच स्तर पर है। आज की तारीख तक उपरोक्त अपराधों के लिए किसी व्यक्ति को जेल नहीं हुई है।

(घ) और (ङ): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। 01.01.2017 तक कंपनी अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए कंपनी रजिस्ट्रारों (आरओसी) द्वारा कंपनियों के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में 46,886 अभियोजन दायर किए गए हैं। वर्ष 2016-17 (30.11.2017 तक) के दौरान, 4,775 नए अभियोजन दायर किए गए। अतः कुल 51,661 मामलों में से, 4,703 अभियोजन निपटाए गए हैं और 30.11.2017 तक 46,958 अभियोजन लंबित थे।

*****

अनुलग्नक-क

दिनांक 23.03.2018 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4828 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की सूची जिनके विरुद्ध पिछले तीन वर्षों के दौरान शिकायतें प्राप्त हुईं।

2014-15	2015-16	2016-17
1) अचल ऑटोमोबाइल्स प्रा.लि.	1. कपिल कंसल्टेंसी सर्विस प्रा.लि.	1. विपाची बिल्डर्स डवलेपर्स प्रा. लि.
2) कार सोर्स इंडिया प्रा. लि.	2. कपिल फूड्स स्ट्रक्चर प्रा.लि.	2. रॉयल ट्विंकल स्टार्स क्लब प्राइवेट लिमिटेड
3) एस्कैलेशन्स ट्रेवल वेअर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	3. कपिल चिट्स (कोस्टा) प्रा.लि.	3. बलमेन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
4) केबीसी मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड	4. कपिल इंफ्रा एवेन्यूस प्रा.लि.	4. माई रिचार्ज प्राइवेट लिमिटेड
5) वरोनिका कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	5. हीरा रिटेल (हैदराबाद प्रा.लि.)	5. पेनट डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड
6) स्टारनेट ब्रीडिंग एंड रिसर्च फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड	6. न्यू लुक रिटेल प्राइवेट लिमिटेड	6. यंग एटिट्यूड प्रोपकोन प्राइवेट लिमिटेड
7) स्टेवेल इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	7. टुलिप ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड	7. कुलदीप रीअल ट्रेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड
8) गायत्री ब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड	8. प्रिया होम्स स्टडी प्राइवेट लिमिटेड	
9) मेकहाउस इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड		

*****